राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : एफ 8(10)त.शि / 2014 जयपुर,दिनांक 27 नवम्बर 2019

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अभिशंषानुसार राज्यपाल महोदय निम्न अभ्यर्थी को जिनकी जन्मतिथि उनके नाम के सामने अंकित हैं, कार्यभार संभालने की तिथि से प्रवक्ता, **यांत्रिकी** के पद पर राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम 2010 (अभियांत्रिकी) के अंतर्गत बी. ई / बी.टेक (स्नातक) अभ्यर्थियो को रनिंग पे–बेण्ड संख्या–3(15600–39100) ग्रेड–पे स0 15 (रू 5400 /–) मे नियत वेतन 22,180 /– एंव एम.ई / एम.टेक योग्यताधारियों के लिए न्यूनतम ग्रेड पे 6000 /–रू. मे नियत वेतन 24,030 /– मे अस्थायी रूप से 2 वर्ष के प्रोबेशन पर Subject to police & Degree verification नियुक्त कर (Provisional) उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है–

S. No	R.No.	Name of Candidate & address	Category	Date of Birth	Merit No.	Posting Place
01	165954	शिवरतन सिद्व पुत्र श्री पदमनाथ सिद्व, पटेल नगर, बल्लभ गार्डन रोड, महिला आई.टी.आई के सामने, बीकानेर –334003	BC	10.12.1990	M-07	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविधालय, बाडमेर

1. उक्त अभ्यर्थी को 2 वर्ष तक परिवीक्षाकाल के लिये मासिक स्थिर परिलाभ (रूपये बी. टेक अभ्यर्थियों को 22,180 /–एवं एम.टेक अभ्यार्थियो को 24,030 /–) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।
2. परिवीक्षाकाल में इन्हे कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नही होंगे, अर्थात परिवीक्षाकाल को वेतन वृद्धि के लिये नही गिना जायेगा।
3. परिवीक्षाकाल में स्थिर परिलाभो में से कोई कटौतियां (यथा जी.पी.एफ एवं स्टेट इंश्योरेंस) नहीं की जायेगी और इन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता एवं कार्यग्रहण करने पर यात्रा भत्ता आदि नही दिया जायेगा।
4. 2 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें प्रवक्ता पद की वेतन श्रृंखला 15600–39100 (बी.टेक अभ्यार्थियों को ग्रेड पे 5400 /– एवं एम.टेक अभ्यार्थी को ग्रेड पे 6000 /–) देय होगी तथा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर इन्हें वेतन श्रृंखला में न्यूनतम वेतन दिया जायेगा।
5. वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 13(1) एफ डी / रूल्स / 2003 दिनांक 29.1.2004 के अनुसार इनकी नियुक्ति पर पेंशन नियम के स्थान पर अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
6. उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति वित्त नियम विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1(2)एफ डी / रूल्स / 2006 दिनांक 13.3.06, एफ 12(6) एफ डी / रूल्स / 05 दिनांक 13.03.2006, एफ 13(1)एफ डी / रूल्स / 06 दिनांक 13.03.2006 के द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अधीन होगी।

7. यह नियुक्ति अधीक्षक, चिकित्सालय अनुलग्नक मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ 15(1)डीओपी/ए–11/74 दिनांक 01.01.75 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी एवं तत्पश्चात ही कार्यग्रहण कर सकेंगे।
8. **उक्त पदस्थापन आदेश** DOP Circular F-1(5)DOP/A-2/17 dated 15-05-2018 के अन्तर्गत **In case character & antecedents of the candidates is found not verified or any false information is given by the candidate in his/her self-declaration, the provisional appointment order will be cancelled forthwith and other criminal/legal action will also be taken, as a consequence.** के अन्तर्गत Provisional है।
9. पदस्थापन आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि मे पदस्थापन स्थान पर अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि मे कार्यग्रहण नही करने पर इनकी नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जायेगे।

10-उक्त पदस्थापन आदेश S.B. Civil Writ Petition Nos. 7263/2018 & Other Writ Petition(s)(If any) के निर्णयों के अध्यधीन किया गया है।

आज्ञा से

(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव त.शि.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार),राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा,राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र पत्रांक/एफ–7(48) भर्ती 'क'/2013–14/207 दि0 11.09.2019 के कम में। (रजिस्टर्ड)
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान जोधपुर को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश को तुरन्त विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें एंव उक्त अभ्यर्थी के शैक्षणिक/योग्यता प्रमाण पत्रों का सत्यापन का कार्य शीघ्र सम्पन्न करवाकर विभाग को अवगत करवावें।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविधालय, बाड़मेर को भेजकर लेख हैं कि उपरोक्त अभ्यर्थी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यभार ग्रहण करवाया जावें।
6. प्रभारी कोर्ट केस, तकनीकी शिक्षा।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी श्री शिवरतन सिद्व (**रजिस्टर्ड डाक द्वारा**)।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

(अजय जैन)
सहायक शासन सचिव त.शि.